

अन्तरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

कोटा, (निर्स)। रामपुरा कोतवाली पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।जिनके पास से पुलिस टीम ने चोरी की 14 मोटरसाईकिलें बरामद की है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि शहर में दुपहिया वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शहर के सभी थानाधिकारियों को थाना स्तर पर टीम गठित कर मोटरसाईकिलें चोरी की वारदातों का खुलासा करने के निर्देश दिये गये।

शहर एसपी ने बताया कि रामपुरा कोतवाली के उपनिरीक्षक थानाधिकारी मंदेश करवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए चोरी की 14 मोटरसाईकिलें सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस उपअधीक्षक राजेश कुमार टेलर के निर्देशन में रामपुरा कोतवाली के उपनिरीक्षक थानाधिकारी मंदेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने रामपुरा कोतवाली इलाके में बाईक चोरी वाले क्षेत्रों को विन्हित किया साथ ही न्यू क्लॉथ मार्केट, स्वर्ण रजत मार्केट के आस-पास की जगह के सीसीटीवी फुटेज एवं अभय कमांड सेंटर के



दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुये चोरी की बाइक सहित आरोपियों को गिरफ्त में लिया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मोटरसाईकिल चोरो के आने-जाने के मार्गों को चिन्हित किया। टीम को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मोटरसाईकिल चोर चोरी की वारदात के बाद नयापुरा, कुन्हाडी, नान्ता और डाबी होते हुए बिजोलिया भीलवाड़ा की तरफ चले जाते है।

पुलिस टीम ने की रैकी-शहर एसपी ने बताया कि मोटरसाईकिल चोरों के चोरी की वारदात के बाद डाबी व



दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुये चोरी की बाइक सहित आरोपियों को गिरफ्त में लिया।

बिजोलिया क्षेत्र में जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस टीम ने डाबी व बिजोलिया क्षेत्र में मोटरसाईकिल चोरी करने व चोरी की बाईक खरीदने व बेचने वालो के बारे में जानकारी जुटाई तथा टीम ने 5-6 दिनों तक बिजोलिया व डाबी क्षेत्र में डेरा डालकर मोटरसाईकिल चोरी के संदिग्ध व्यक्तियों को रैकी की, जिस पर पुलिस टीम को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि सेमलिया महादेव मंदिर के पास चार व्यक्तिय संदिग्ध अवस्था में घूम रहे है,

जो चोरी की मोटरसाईकिल बेचने की फिराक में है।

पुलिस टीम ने दो दबिश-शहर एसपी अमृता दुहन ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम ने डाबी क्षेत्र के सेमलिया महादेव मंदिर के समीप दबिश देकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे विशाल बंजारा, पंकज ओड़, राकेश ओड़ उर्फ राका और विशाल रैगर को डिटेन कर पुछताछ की गई तो आरोपियों के कब्जे से थाना रामपुरा कोतवाली शहर की दो मोटरसाईकिल

भीषण गर्मी में आमजन को पानी पिलाना सबसे बड़ा मानवीय धर्म : पंकज मेहता

कोटा, (निर्स)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और प्रेरणा से पूरे शहर में प्याऊ लगाए जा रहे हैं, पर्रिडे बांधे जा रहे हैं उसकी कड़ी में टीम पंकज मेहता द्वारा बुधवार को भीषण गर्मी को देखते हुए लाड़पुरा दरवाजे के पास भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज मेहता द्वारा पक्षियों के लिए पर्रिडे बांधे गए एवं शीतल जल की प्याऊ लगाई गई।

इस अवसर पर पंकज मेहता ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में राहगीरों के लिए ठंडा पानी अमृत के समान है और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा मानवीय धर्म है। उन्होंने रोजाना ठंडे पानी से दो कार्यक्रम करने के लिए अपनी टीम से दो कार्यकर्ता नियुक्त किये जो इसकी देखभाल करेंगे और राहगीरों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पेड़-पौधों को भी गर्मी में पानी डालने के लिए भी व्यवस्था की गई ताकि पौधे सूखे



भाजपा नेता पंकज मेहता गर्मी में समाजोपयोगी कार्य कर रहे हैं।

नहीं और हरियाली बनी रहे। इसके साथ ही बेजुबान जानवर और पक्षियों के लिए भी निरंतर दाने पानी की व्यवस्था की जा रही है और सार्वजनिक स्थान, घर व

पाकों में पर्रिडे बांधे जा रहे हैं और वहां निवास करने वाले लोगों को नियमित दाने-पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इस अवसर पर

चोरी की 14 बाईक बरामद

चोरी की बरामद हुई। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोली के पास ग्राम बिलाना निवासी विशाल बंजारा (22), केसरपुरा थाना बिजोलिया निवासी पंकज ओड़ (21), गणेश घाटी थाना बिजोलिया निवासी राकेश ओड़ उर्फ राका (21) एवं जावदा थाना बिजोलिया निवासी विशाल रैगर (19) को गिरफ्तार किया।

पुछताछ में आया सामने-शहर एसपी अमृता दुहन ने बताया कि पकड़े गये आरोपी विशाल बंजारा, पंकज ओड़, राकेश ओड़ उर्फ राका और विशाल रैगर से पूछताछ में कबुला कि वह चोरी की मोटरसाईकिलें नारायणपुरा थाना बिजोलिया निवासी कुलदीप व अजय से खरीदते थे। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ के आधार पर विभिन्न थाना इलाकों से चोरी की गई 12 मोटरसाईकिलों को बरामद किया है। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये सभी आरोपियों को अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। शहर एसपी ने बताया कि आरोपी कुलदीप व अजय फरार चल रहे है जिनकी तलाश जारी है।

पक्षियों के लिए दाने पानी का भी किया इंतजाम, श्रमदान भी किया

टीम पंकज मेहता का शहर में प्याऊ व पर्रिडे लगाने का अभियान जारी

रामपुरा मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश महावर, राजू गोस्वामी, दिलीप महावर, सोनू, शैलेंद्र महावर, वरिष्ठ कार्यकर्ता दिलीप चतुर्वेदी, महेंद्र गर्ग, हुकुम महावर, रवि शर्मा, कुलदीप सेन, अंतिम राठौड़, सूरज राव, लालचंद भील, प्रेम महावर, पवन महावर, सलीम, शाहिद, आरिफ, प्रमोद पंचाल, पंकज गौतम, और मुश्ताकआदि उपस्थित रहे।

लेखा अधिकारी हुए सेवानिवृत्ति

रामगंजमंडी, (निर्स)। पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग कोटा के सहायक लेखा अधिकारी प्रदीप अग्रवाल बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए।

अग्रवाल ने कई विभागों में अपनी सेवाएं दी है। अग्रवाल की सेवानिवृत्ति पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

संगठन के देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में पेंशन विभाग के अतिरिक्त निदेशक हरीश शर्मा, राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सोरल, राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के मनोज जैन चतर्त व मेहमंती सत्यनारायण सहित कई पेंशनधारी एवं लेखाधिकारी उपस्थित रहे।

‘लगभग चालीस वर्षों पूर्व सामूहिक विवाह सम्मेलन की कल्पना और शुभारंभ करने वाला व्यक्तित्व आधुनिक भारत का महान व्यक्तित्व में शुमार होना चाहिए’

पूर्व सरपंच रामलाल गुंजल ने कहा कि समाज के गरीब तबके के लिए नौजवान पीढ़ी को आगे आना चाहिए, ताकि समाज का उत्थान हो सके। उन्होंने कहा कि समाज की गरीब बेटियों को उच्च शिक्षा में भी समाज को आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए समिति के सभी पदाधिकारियों के समर्पण भाव की प्रशंसा की।

श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवराज गुंजल ने बताया कि देवनारायण मंदिर गणेश नगर परिसर में हो दल्लों का निवास के प्रत्येक व्यक्ति का इसे और अधिक बेहतर, सुंदर और भव्य बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित होना चाहिए।

विवेक राजवंशी ने अपने जन्मदिवस पर देहदान का संकल्प लिया

कोटा, (निर्स)। कोटा दक्षिण नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर एक विशेष संकल्प लिया है। उन्होंने देहदान करने का निर्णय लिया है, जो उनके जीवन के मूल्यों और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विवेक राजवंशी ने कहा, मेरा जन्मदिवस मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों पर विचार करूं। देहदान करने का मेरा निर्णय मेरे इस विश्वास को दर्शाता है कि हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए।

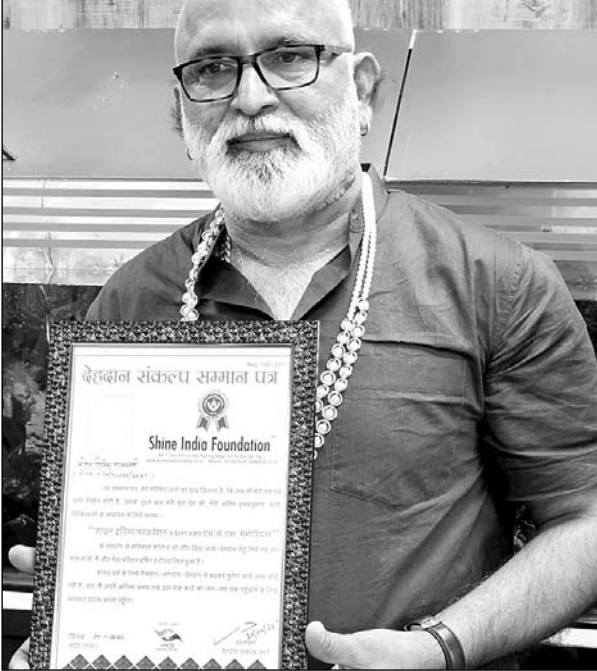
विवेक राजवंशी के इस निर्णय से समाज में देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को इसके महत्व के बारे में पता चलेगा। हमें उम्मीद है कि उनके इस निर्णय से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और देहदान के लिए आगे आएंगे। इस अवसर पर, विवेक राजवंशी ने समाज के लोगों से अपील की है कि वे देहदान के महत्व को समझें और इसके लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि देहदान करने से हम चिकित्सा विज्ञान की प्रगति में योगदान कर सकते हैं और दूसरों की जिंदगी में सुधार ला सकते हैं।

बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जिले के धर्म-गुरुओं से संवाद किया

कोटा, (निर्स)। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर धर्म गुरुओं को साथ जोड़कर व एक मंच पर लाकर बुधवार को बोरखेड़ा में धर्म गुरुओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित धर्म गुरुओं ने बाल विवाह के विरुद्ध अपने विचार रखे।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा गीता चौधरी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई राम राज मोना ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर अपने विचार रखे।

बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश में नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के कोटा में सहयोगी संगठन सृष्टि सेवा समिति की ओर से अक्षय तृतीया और शदी-व्याह के मौसम को देखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच चलाए जा रहे



कोटा दक्षिण नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने अपने जन्मदिवस पर देहदान करने का निर्णय लिया है।

गायत्री आश्रम बोरखेड़ा में हुआ आयोजन

जागरूकता अभियान को व्यापक सफलता मिली है और सभी धर्मगुरुओं ने इसकी सराहना करते हुए समर्थन का हाथ बढ़ाया है। संगठन ने कहा कि यह देखते हुए कि कोई भी बाल विवाह किसी पंडित, मौलवी या पादरी जैसे पुरोहित के बिना संपन्न नहीं हो सकता, हमने उन्हें बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ने का फैसला किया। सृष्टि सेवा समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि सिंह बघेल ने कहा कि अभी भी देश में बाल विवाह के खिलाफ जरूरी जागरूकता की कमी है। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि यह बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएफ), 2006 के तहत दंडनीय अपराध है।

इसमें किसी भी रूप में शामिल होने या सेवाएं देने पर दो साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसमें भारती और लड़की के पक्ष के लोगों

के अलावा कैटरर, साज-सज्जा करने वाले डेकोरेटर, हलवाई, माली, बैंड बाजा वाले, रैंगर हाल के मालिक और यहां तक कि विवाह कार्यों के वाले पंडित और मौलवी को भी अपराध में संलिप्त माना जाएगा और उन्हें सजा व जुर्माना हो सकता है।

उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने धर्मगुरुओं और पुरोहित वर्ग के बीच जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया क्योंकि यह वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है जो विवाह संपन्न कराता है।

संवाद कार्यक्रम में हेमा सरस्वती महामण्डलेश्वर मौजी बाबा कोटा, ज्ञानी गुरुगम सिंह अम्बवावाली, हरपाल सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सिक्का बोर्ड, बाजी अन्दूल गफफार मिर्जा, बिगुल जैन, कौशिक गायत्री परिवार बोरखेड़ा से राष्ट्रीय संचालक युधिष्ठिर हाड़ा, प्रधान संचालक यज्ञदत्त हाड़ा, ज्योतिष मनोज, संरक्षण अधिकारी राजेश शर्मा, आउट रिच वर्कर्स संजय शर्मा, श्रृष्टि सेवा समिति के जिला समनव्यक भूपेंद्र सिंह, ममता तिवारी, रवि गौतम, आदि मौजूद थे।

नगर निगम ने अस्थाई अतिक्रमण हटाये

कोटा, (निर्स)। नगर निगम कोटा उत्तर अतिक्रमण अनुभाग ने बुधवार को भीमगंजमण्डी क्षेत्र रंगपुर पुलिसिया के नीचे व आस-पास के क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया।

काफी समय से अतिक्रमियों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जिन्हें काफी मर्तबा अतिक्रमण हटाने हेतु समझाईश की गई थी।

परन्तु अतिक्रमियों द्वारा दिन प्रति दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था। जिस पर आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर अशोक त्यागी से प्राप्त निर्देश के अनुसार अतिक्रमण निरोधात्मक कार्यवाही को उपायुक्त द्वितीय महावीर सिंह सिसोदिया व अतिक्रमण प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरूण कांत



कोटा उत्तर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाये गये।

सोमानी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा कोटा विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में संयुक्त कार्यवाही करते हुए अस्थाई अतिक्रमण निरोधात्मक कार्यवाही को अंजाम दिया गया।

कार्यवाही के दौरान वृत्ताधिकारी द्वितीय गंगा सहाय शर्मा, रेल्वे कॉलोनी थानाधिकारी, भीमगंजमण्डी थानाधिकारी मय जाप्ता व अतिक्रमण सह प्रभारी कनिष्ठ अभियंता हनुमान राम व स्टेशन क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता

आखातीज पर गुर्जर समाज के 5 1 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, फीजूलखर्ची रोकने का संदेश दिया

कोटा, (निर्स)। अक्षय तृतीया पर श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में वीर गुर्जर सामूहिक विवाह सम्मेलन बुधवार को गणेशजी स्थित श्री देव नारायण मंदिर गणेश नगर कोटा पर धूमधाम के साथ संपन्न हुआ।

सामूहिक विवाह सम्मेलन में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सम्मेलन में कोटा शहर व ग्रामीण इलाकों सहित पूरे हाड़ौती संभाग से गुर्जर समाजबंधु सम्मेलन में पहुंचे और गुर्जर समाज के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया।

श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवराज गुंजल ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कोटा-बूंदी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल रहे। वहीं अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान मन्नालाल गुर्जर, जिला परिषद सदस्य संभव वर्मा, डॉ. बीएल शर्मा, पूर्व डायरेक्टर महेन्द्र गुर्जर ने शिरकत की। जिनका आयेजन् समिति के सदस्यों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि समिति के लोगों ने जो बीड़ा उठाया है इसलिए लिए यह प्रशंसा के



कोटा में वीर गुर्जर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ है।

पात्र हैं, आज महंगाई और बेरोजगारी के दौर में आर्थिक परेशानी के कारण गरीब पर बेटे-बेटियों के ब्याह का आर्थिक भार नहीं पड़े और ब्याह करना चुनौती नहीं बने, ऐसे में समाज का सहभागी बनकर खड़ा होना, यह सराहनीय कदम है और यह शानदार सम्मेलन हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन आदर्श कार्यक्रम बन चुके है। गुंजल ने कहा कि लगभग चालीस वर्ष पूर्व जब सम्मेलन प्रारंभ हुए थे, तब लोग सम्मेलनों में अपने

बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करते थे। सामूहिक विवाह सम्मेलन की कल्पना और शुभारंभ जिस व्यक्ति के मन में आया होगा, वो व्यक्ति आधुनिक भारत के महान चिंतकों में शुमार किया जाने लायक था। कल तक वो व्यक्ति कहता था कि मैं सामूहिक विवाह सम्मेलनों में अपने बेटे-बेटियों का विवाह नहीं करूंगा, आज सारे भारत में सामूहिक विवाह सम्मेलनों की धूम मची हुई है। अब तो सरकारें भी इन कार्यक्रमों को आर्थिक सहयोग कर

प्रोत्साहन करने लगी है। और आज ये अपने आपमें एक बड़ा जनआंदोलन जैसा बन चुका है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा महत्वाकांक्षी समाज सुधार व समाज को बेहतर सुंदर व रचनात्मक कार्यक्रम समिति का नहीं होना चाहिए। बल्कि समाज के एक-एक व्यक्ति का इसमें योगदान होना चाहिए। और ऐसे आयोजनों में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का इसे और अधिक बेहतर, सुंदर और भव्य बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित होना चाहिए।

अक्षत कुमार चौरसिया की शानदार उपलब्धि

कोटा, (निर्स)। मां भारती स्कूल सीबीएसई स्वामी विवेकानंद नगर की कक्षा 12वीं के प्रतिभाग्न प्रकाश अक्षत कुमार चौरसिया ने ओलंपियाड प्रतियोगिता में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और शहर का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने सिल्वर जोन इंटरनेशनल ओलंपियाइड का मेथमेटिक्स लेवल 2024 में प्रथम राज्य रैंक के प्रथम जोनल रैंक और आदित्य ओलंपियाड ड्राइंग प्राप्त की है जिसके लिए उन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड सिल्वर मेडल तथा 10000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सहायता राशि दी

रामगंजमंडी, (निर्स)। मंगलम महिला मण्डल वेलफेयर सोसायटी मोड़क ने अध्यक्ष विभा सचान, अध्यक्ष शशी मंडोट के नेतृत्व में मोड़क गांव निवासी राकेश पुत्र रामेश्वर को जलने के उपचार हेतु सहायता राशि प्रदान की गई।

आम सूचना
मेरे पक्षकार शक्ति सिंह हाड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री भंवर सिंह हाड़ा, निवासी क्वाक ई-2, फ्लैट नम्बर 701, महालक्ष्मी पुरम, बारां रोड, कोटा की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मकान दिनांक 480, रिविजित कर लॉन्ग, नयापुरा, कोटा का दिनांक 30.10.20 को मेरे पक्षकार ने खाली कर दिया था। और फिर दिनांक 29.04.22 को उसने नयापुरा वाला मकान एक्जोलेट की कब्जियात शर्मा को बेवान कर दिया । दिनांक 30.10.20 से मेरे पक्षकार का उक्त नयापुरा वाले मकान से किसी प्रकार का कोई संबंध व अधिकार नहीं रहा। और किसी व्यक्ति को नयापुरा वाले मकान बास्त शिफारस हे तो वह श्री कल्पित शर्मा एक्जोलेट से सम्पर्क करें। क्योंकि मेरे पक्षकार का उक्त मकान से अब कोई अधिकार नहीं है, सूचित हो।
महोदय : सतीश कुमार बबरी
दिनांक : 30.04.25
एडवांकेट, कोटा

आम सूचना
सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार रमेश घन पुत्र श्री गोपीलाल, अयु 72 वर्ष, एवं गायत्री गुप्ता उन्नी श्री रमेशचन्द्र, अयु 65 वर्ष, निवासी गंगा मकान नं 1-106 पार्श्वन्या अपार्टमेंट, नांता, गिधरपुरा, कोटा 324008 (राजस्थान) के है। अतः सर्वे दिनांक को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का पुत्र हेमन्त गुप्ता व पुत्रव्य सुमन गुप्ता है, जो आये दिन मेरे पक्षकार के साथ लड़ाई मुगडा करते रहे तथा कई बार मास्टीफ कर चुके है तथा मेरे पक्षकार को बुरा अकाला में होने एवं मेरी पक्षकार श्रीमती गायत्री गुप्ता वर्तमान में कैंसर पीडित होने के बावजूद उनकी किमप्रेम से अचेर सहे, सारे संगमल आदि नहीं करते है, इसलिये मेरे पक्षकार द्वारा अपने पुत्र हेमन्त गुप्ता व पुत्रव्य सुमन गुप्ता को स्वअर्जित आय के मकान नं. ई-106, पार्श्वन्या अपार्टमेंट, नांता, गिधरपुरा, कोटा 324008 (राजस्थान) एवं अपनी समस्त वस्तु व अवस्त समस्तियों से बेहसल कर दिया गया है तथा आज से मेरे पक्षकार का स्वयं पुत्र व पुत्रव्य को किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध कम नहीं रहे है, इसलिये यदि पुत्र हेमन्त गुप्ता व पुत्रव्य सुमन गुप्ता से कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि किसी प्रकार का कोई सम्बन्धवार करते है तो उसका संयन्धवार के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं मेरे पक्षकार को इसी जबाबदेही नहीं होगी। कृपया सूचित हो।
महोदय : अतीश शर्मागंगा एडवांकेट
R. 29.04.2025 मो. 9786500 1786, 94143449433

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) छबड़ा जिला बारां (राज.)
क्रमांक/भू.अ./2025/1414 दिनांक 25.4.2025

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार प्रभूलाल आत्मज किशनलाल जाति मेघवाल द्वारा ग्राम शेखापुर की आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 6 बीघा भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत नट्टी बाई पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी शेखापुर तहसील छबड़ा के पक्ष में की गई है। उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) तहसील कार्यालय छबड़ा में जैरकार है। उक्त वसीयत को लेकर किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 10 दिन तहसील कार्यालय छबड़ा में अपनी आपत्ति पेश करें। अन्यथा प्रकरण एक तरफा निस्तारण कर दिया जायेगा। और कोई आपत्ति या इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं होगी। तहसीलदार (भू.अ.) छबड़ा जिला बारां (राज.)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 202

जाहिर आम सूचना

दिनांक - 30.4.25

आवास संख्या 3-द-27 विधान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रामावतार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण को दिया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामावतार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण की मृत्यु दिनांक 31.01.2019 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसातों में श्री यशवत रामावत पुत्र स्व. श्री रामावतार रामावत, श्री बलवंत रामावत पुत्र स्व. श्री गोपाल गणेश रामावत पुत्र स्व. श्री रामावतार द्वारा उक्त आवास में निहित अपने हिस्से का त्याग जरिये घोषणा पत्र आलेखित कर दिनांक 30.12.2024 को इनकी माता श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री रामावतार के पक्ष में किया गया। श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री रामावतार द्वारा इस कार्यालय पर प्रतिक्रियन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-द-27 विधान नगर कोटा को मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री रामावतार के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री रामावतार के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री रामावतार के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा